

परीक्षाओं का आयोजन

(Conduct of Examination)

* सार्वजनिक परीक्षाएँ (Public Examinations)

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रमों में पंजीकृत शिक्षार्थियों के लिए एक वर्ष में दो बार परीक्षाओं को आयोजन किया जाएगा।

(i) प्रथम पंजीकरण सत्र 1 मार्च से 31 अगस्त तक में पंजीयन कराने वाले शिक्षार्थियों की सार्वजनिक परीक्षा अगले वर्ष के जून माह में होगी।

(ii) द्वितीय पंजीयन सत्र 1 सितंबर से अगामी वर्ष की 28/29 फरवरी तक में पंजीयन कराने वाले शिक्षार्थियों की सार्वजनिक परीक्षा अगामी वर्ष के दिसम्बर माह में होगी। नियमित शिक्षार्थियों के अतिरिक्त पूर्व के सत्रों में भी पंजीकृत शिक्षार्थी जो अनुत्तीर्ण रह गये हों अथवा सम्मिलित नहीं हुए हों भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं टी० ओ० सी० प्रवधान के अन्तर्गत पंजीकृत शिक्षार्थी प्रवेश के उपरांत आगामी परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है बशर्ते वह शिक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से 15 दिनों पूर्व विधिवत रूप से भरा हुआ परीक्षा आवेदन-पत्र अध्ययन केन्द्र के माध्यम से बोर्ड कार्यालय को प्राप्त करा देता है।

सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्व अथवा पश्चात् सुविधानुसार प्रायोगिक परीक्षाएँ पंजीयन केन्द्र पर आयोजित की जाएगी। सैद्धांतिक परीक्षाएँ जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा पर जिला मुख्यालय स्तर पर निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर ही आयोजित होंगी। सैद्धांतिक परीक्षा केन्द्रों में कोई परिवर्तन अपरिहार्य कारणों को छोड़कर कदापि नहीं किया जाएगा।

प्रायोगिक परीक्षा एवं सैद्धांतिक परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित सूचना परीक्षा विभाग द्वारा विज्ञापन के माध्यम से दी जाएगी। इसे वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। डाकपत्र के माध्यम से पंजीयन-सह-अध्ययन केन्द्रों को भी सूचना दी जाएगी। प्रत्येक शिक्षार्थी के प्रवेश-पत्र के पृष्ठ भाग पर परीक्षा का कार्यक्रम अंकित होगा।

माँग पर परीक्षा (On Demand Examination):-

बोर्ड द्वारा छात्रों के हित में माँग पर परीक्षा का आयोजन कर शीघ्र परीक्षाफल प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है। वैसे छात्र जो किसी कारणवश बोर्ड द्वारा सामान्यतः आयोजित होनेवाली प्रथम परीक्षा, जून एवं द्वितीय परीक्षा, दिसम्बर में सम्मिलित नहीं हो सके हैं वे ही छात्र "माँग पर परीक्षा" में सम्मिलित होंगे। इस व्यवस्था के तहत परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरे

जायेंगे एवं आवेदन पत्र भरे जाने के एक सप्ताह के अन्दर बोर्ड द्वारा परीक्षा का आयोजन करते हुए अगले एक सप्ताह के अन्दर परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया जायेगा।

परीक्षा शुल्क का विवरण (Details of Examination fee)

परीक्षा शुल्क का विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	परीक्षा शुल्क का विवरण	माध्यमिक स्तरीय	उच्च माध्यमिक स्तरीय
01.	सैद्धान्तिक परीक्षा	रु० 205 /-प्रति विषय	रु० 205 /-प्रति विषय
02.	प्रायोगिक परीक्षा	रु० 100 /-प्रति विषय	रु० 100 /-प्रति विषय
03.	विलंब शुल्क (फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के बाद 15 दिनों तक)	रु० 300 /-	रु० 300 /-

ऑनलाईन परीक्षा को फॉर्म भरे जाने पर सैद्धान्तिक विषयों हेतु प्रति 20 /-रूपये एवं प्रायोगिक विषयो हेतु प्रति विषय 10 /-रूपये की छूट दी जाएगी।

1. परीक्षा शुल्क तालिका के अनुसार सभी शिक्षार्थियों द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है एवं निर्धारित तिथि तक परीक्षा जमा नहीं करने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. परीक्षा के लिए एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही आगामी परीक्षाओं के लिए समायोजित किया जाएगा।

* परीक्षा आवेदन भरने के निर्देश (Directives for filling up the Examination form):

- (i) जून और दिसम्बर सत्र में आयोजित होने वाली सार्वजनिक परीक्षाओं के परीक्षा आवेदन पत्र को पंजीयन केन्द्र पर, निर्धारित परीक्षा शुल्क सहित, निर्धारित तिथि के पूर्व जमा करना होगा।
- (ii) परीक्षा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के पश्चात् शिक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से 15 दिन पूर्व विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन पत्र विधिवत रूप से भरकर पंजीकृत अध्ययन केन्द्र के माध्यम से बोर्ड कार्यालय को प्राप्त कराया जा सकता है।
- (iii) वैसे शिक्षार्थी जिन्होंने बोर्ड में स्थापित काउंटर में अपना पंजीयन सुविधानुसार अध्ययन केन्द्र पर करवाया है, उसे अपने पंजीकृत अध्ययन केन्द्र में परीक्षा आवेदन एवं निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करने में कोई कठिनाई होती है, तो वे बोर्ड में स्थापित काउंटर से सत्यापित कराकर परीक्षा आवेदन पत्र एवं शुल्क बोर्ड में जमा कर सकते हैं। यह अवसर केवल बोर्ड में स्थापित काउंटर पर पंजीकृत शिक्षार्थी को ही दिया जाएगा।

- (iv) पूर्ण रूप से भरे हुए परीक्षा आवेदन के साथ शिक्षार्थी का अद्यतन फोटो 4cm × 3cm के आकार में लगा रहना चाहिए एवं उसके नीचे निर्धारित स्थान पर अंग्रेजी एवं हिन्दी में उसे अपना पूरा हस्ताक्षर करना चाहिए। यह हस्ताक्षर वैसा होना चाहिए जैसा कि पंजीयन आवेदन पत्र में किया गया था। इसमें विसंगति रहने पर परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र/परिचय पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।
- (v) यदि कोई शिक्षार्थी एक प्रयास में उत्तीर्ण नहीं होता है, तो उसे पुनः परीक्षा में बैठने हेतु परीक्षा आवेदन पत्र भरना होगा एवं परीक्षा शुल्क तालिका-3 के अंतर्गत वर्णित राशि जमा करनी होगी। ऐसा अवसर केवल पंजीयन की तिथि से 5 वर्षों की अवधि में कुल 9 बार के लिए ही मान्य होगा।
- (vi) परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए शिक्षार्थियों को निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card) अध्ययन केन्द्र के माध्यम से ही मिलेगा। इसे वेबसाइट www.bbose.org से डाउनलोड भी किया जा सकता है। शिक्षार्थी डाउनलोड किए गए पत्र को स्वतः हस्ताक्षरित करके भी सैद्धान्तिक परीक्षा केन्द्र पर सम्मिलित हो सकते हैं जिसकी सूचना केन्द्राधीक्षक को देना अनिवार्य है। प्रवेश पत्र (Admit Card) में अंकित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना चाहिए।
- * **परीक्षा का आयोजन एवं परीक्षा का माध्यम** (Conduct of Examination and Medium Of Examination) बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना में माध्यमिक स्तरीय परीक्षा हेतु 18 विषय व उच्च माध्यमिक स्तरीय परीक्षा हेतु 28 विषयों को रखा गया है। परीक्षा के लिए माध्यम हिंदी, उर्दू एवं अंग्रेजी भाषाओं में से किसी को रखा जा सकता है। भाषायी भाषाओं को छोड़कर किसी अन्य भाषा में परीक्षा देने पर उत्तर पुस्तिका रद्द कर दी जाएगी। यह भी उल्लेखनिय है कि प्रश्न पत्र भाषायी विषयों को छोड़कर अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों ही भाषाओं में रहेगा।
- * **परीक्षा के विषयों के नाम, पूर्णांक एवं उत्तीर्णांक का विवरण:-** (Details of name of Subjects for Examination, Full marks and pass marks)

1. माध्यमिक स्तरीय

समूह-‘क’ के विषय

कोड	विषयों के नाम	सैद्धान्तिक परीक्षा के पूर्णांक	प्रायोगिक परीक्षा के पूर्णांक	पूर्णांक	उत्तीर्णांक
201	हिंदी	100	00	100	30
202	अंग्रेजी	100	00	100	30
203	उर्दू	100	00	100	30

204	संस्कृत	100	00	100	30
205	भोजपुरी	100	00	100	30
206	मैथिली	100	00	100	30
207	बांगला	100	00	100	30
208	अरबी	100	00	100	30
209	फारसी	100	00	100	30

समूह—'ख' के विषय

कोड	विषयों के नाम	सैद्धान्तिक परीक्षा के पूर्णांक	प्रायोगिक परीक्षा के पूर्णांक	पूर्णांक	उत्तीर्णांक
215	गणित	100	00	100	30
216	विज्ञान	85	15	100	30
217	सामाजिक विज्ञान	100	00	100	30
218	योग एवं शारिरिक शिक्षा	85	15	100	30
219	व्यवसाय अध्ययन	100	00	100	30
220	गृह विज्ञान	85	15	100	30
221	बेसिक कम्प्यूटर	85	15	100	30
222	भारतीय संस्कृति एवं विरासत	100	00	100	30
223	चित्रकला	85	15	100	30

नोट :- माध्यमिक स्तर पर सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांकों को मिलाकर 30 अंक लाने पर उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

ii. उच्च माध्यमिक स्तरीय

समूह—'क' के विषय

कोड	विषयों के नाम	सैद्धान्तिक परीक्षा के पूर्णांक	प्रायोगिक परीक्षा के पूर्णांक	पूर्णांक	उत्तीर्णांक
301	हिंदी	100 (30)	00	100	30
302	अंग्रेजी	100 (30)	00	100	30
303	संस्कृत	100 (30)	00	100	30
304	उर्दू	100 (30)	00	100	30
305	भोजपुरी	100 (30)	00	100	30
306	मैथिली	100 (30)	00	100	30
307	बांगला	100 (30)	00	100	30
308	अरबी	100 (30)	00	100	30
309	फारसी	100 (30)	00	100	30

कोड	विषयों के नाम	सैद्धान्तिक परीक्षा के पूर्णांक (उत्तीर्णांक)	प्रायोगिक परीक्षा के पूर्णांक (उत्तीर्णांक)	कुल पूर्णांक	उत्तीर्णांक
310	गणित	100 (30)	00	100	30
311	भौतिक	80 (24)	20 (6)	100	30
312	रसायन विज्ञान	80 (24)	20 (6)	100	30
313	जीव विज्ञान	80 (24)	20 (6)	100	30
314	इतीहास	100 (30)	00	100	30
315	भूगोल	80 (24)	20 (6)	100	30
316	राजनीतिशास्त्र	100 (30)	00	100	30
317	अर्थशास्त्र	100 (30)	00	100	30
318	व्यवसाय अध्ययन	100 (30)	00	100	30
319	लेखा शास्त्र	100 (30)	00	100	30
320	गृह विज्ञान	80 (24)	20 (6)	100	30
321	मनोविज्ञान	80 (24)	20 (6)	100	30
322	कम्प्यूटर विज्ञान	80 (24)	20 (6)	100	30
323	समाज शास्त्र	100 (30)	00	100	30
324	शिक्षा	100 (30)	00	100	30
325	दर्शनशास्त्र	100 (30)	00	100	30
326	चित्रकला	80 (24)	20 (6)	100	30
327	संगीत	80 (24)	20 (6)	100	30
328	योग एवं शारीरिक शिक्षा	80 (24)	20 (6)	100	30

नोट:— 1. उच्च माध्यमिक स्तर पर सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में अलग-अलग उत्तीर्णांक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. सैद्धान्तिक परीक्षा का उत्तीर्णांक 24 एवं प्रायोगिक परीक्षा का उत्तीर्णांक 6 है।

* अनुचित साधनों का प्रयोग वर्जित (Prohibition of the use of unfair means): बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड कदाचारमुक्त परीक्षा के लिए कृत संकल्प है—जैसा कि विदित है कि ये परीक्षाएँ “बिहार परीक्षा बोर्ड संचालन अधिनियम 1981” (Bihar Conduct of Examination Act, 1981) के प्रावधान के अनुसार आयोजित की जाती है। अतः परीक्षा में अनुचित साधनों, अनुशासन हीनता एवं कदाचार का प्रयोग करने पर शिक्षार्थियों को दंडित किया जाएगा। इसके लिए बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड द्वारा नियंत्रण समिति का गठन किया गया है जिसकी अनुशंसा पर दंड दिया जाएगा।

परीक्षा के दौरान शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय की परीक्षा में उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर वांछित विवरण जैसे परीक्षा क्रमांक/पंजीयन इत्यादि सही भरना चाहिए। गलत ढंग से लिखने पर परीक्षाफल लंबित हो जाएगा। उत्तरपुस्तिका में किसी प्रकार का चिन्ह बनाना, उत्तरपुस्तिका को रंगना उत्तरपुस्तिका पर नाम इत्यादि लिखना या करेंसी नोट लगाना आदि कदाचार है और इन कदाचार के मामले में कदाचार नियंत्रण समिति द्वारा लिया गया निर्णय शिक्षार्थी को मान्य होगा इसके अतिरिक्त प्रवेशपत्र में अंकित निर्देश का पालन करना अनिवार्य है।

*** परीक्षाफल का प्रकाशन, अंक तालिका और प्रमाण पत्र निर्गत करना (Publication of Result and Issuance of Marksheet and Certificate) :**

परीक्षाफल का प्रकाशन सामान्यतः परीक्षा की समाप्ति के उपरांत 40 दिनों के अन्दर किया जाएगा। परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण होने के बाद शिक्षार्थियों को अंक तालिका, प्रमाण पत्र एवं स्थानान्तरण-सह-प्रव्रजन प्रमाण पत्र पंजीयन केन्द्रों के माध्यम से दिए जायेंगे।

प्रमाण पत्र की प्राप्ति के उपरांत अंक पत्र/प्रमाण पत्र में नाम/पिता का नाम/माता का नाम/जन्म तिथि इत्यादि के संबंध में किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो इनमें सुधार हेतु एक आवेदन-पत्र पंजीयन केन्द्र के समन्वयक द्वारा अग्रसारित करवाकर बोर्ड में जमा करना चाहिए। इसके साथ मूल अंक पत्र को भी जमा कराना होगा ताकि उनके स्थान पर अपेक्षित सुधार के उपरांत अंक पत्र निर्गत कर उपलब्ध कराया जा सके।

आंशिक पंजीयन (Partial Registration) की स्थिति में परीक्षा देने पर शिक्षार्थी को अलग से प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा क्योंकि उससे संबंधित बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र पहले ही निर्गत किया जा चुका है। केवल अंक पत्र दिया जाएगा।

जब तक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम को पूरा करके संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाता है तब तक उसे प्रव्रजन (माइग्रेशन) प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

*** उत्तीर्ण विषयों के अंकों को संधारित करना (Maintaining the marks of passed subject) :**

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड वर्ष में दो बार परीक्षाएँ आयोजित करता है। शिक्षार्थीगण पंजीयन की तिथि से 5 वर्षों की अवधि में कुल 9 बार परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। प्रत्येक परीक्षा में उत्तीर्ण विषयों के अंकों को विद्यार्थी द्वारा पंजीयन के 5 विषयों में उत्तीर्ण होने तक क्रेडिट के रूप में जमा किया जाता है।

माध्यमिक स्तरीय परीक्षा में प्रायोगिक विषयों में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा को एक ही इकाई में रखा गया है और उस विषय की दोनों परीक्षाओं के लब्धांकों के न्यूनतम योग 30 (तीस) को ही उत्तीर्णता का आधार माना गया है। इसलिए प्रायोगिक विषय/विषयों की पुनः

परीक्षा देने की स्थिति में सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों ही परीक्षाओं में भाग लेना अनिवार्य होगा।

उच्च माध्यमिक स्तरीय परीक्षा में प्रायोगिक विषयों में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक पत्रों में पृथक रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अतः इस परीक्षा में शिक्षार्थी सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों ही परीक्षाओं में जैसी स्थिति को पृथकतः परीक्षा शुल्क देकर संबंधित परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम में यदि कोई शिक्षार्थी प्रायोगिक विषय की प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है और सैद्धांतिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक को जमा करा लिया जाएगा तथा अगली परीक्षा में वह केवल सैद्धांतिक परीक्षा में ही बैठ सकता है तथा यदि वह प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे केवल प्रायोगिक परीक्षा में ही बैठना होगा। यदि वह अच्छे अंक प्राप्त करने के उद्देश्य से पुनः प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है तो वह प्रायोगिक परीक्षा भी दे सकता है और दोनों परीक्षाओं में से प्राप्त अधिक प्राप्तांक ही उसके परीक्षाफल में दर्शाया जाएगा। उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थी को प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होने पर मात्र प्रायोगिक परीक्षा का शुल्क तथा सैद्धांतिक परीक्षा में सम्मिलित होने पर मात्र सैद्धांतिक परीक्षा का शुल्क जमा करना होगा। सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर दोनों का शुल्क जमा करना होगा।

*** लब्धांकों में सुधार (Improvement of Marks Obtained) :**

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना से माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तरीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त शिक्षार्थी को उन विषयों में पुनः परीक्षा देने का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत शिक्षार्थी पुनः परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरकर शुल्क जमा करेगा। ऐसा अवसर पुनः पंजीयन कराने के बाद मात्र एक बार दिया जायेगा। लब्धांकों में सुधार होने पर उसे केवल लब्धांक पत्र ही दिया जाएगा। पूर्व में निर्गत प्रमाण पत्र बना रहेगा।

*** उत्तर पुस्तिकाओं में अंकों की पुनर्गणना (Recalculation of Marks Obtained in Answer Books) :**

यदि कोई शिक्षार्थी सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित हुआ है और अपने परीक्षा के परिणामों से संपुष्ट नहीं है तो वह परीक्षा परिणाम के घोषित होने के 30 दिनों के भीतर किसी भी विषय की उत्तर पुस्तिका की पुनर्गणना के लिए निर्धारित शुल्क रू० 200/- प्रति विषय (बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से) के साथ आवेदन कर सकता है।

इस प्रावधान के अंतर्गत की गई पुनर्गणना के फलस्वरूप संशोधित अंक (कम अथवा अधिक) ही अंतिम लब्धांक माना जाएगा और इसकी सूचना संबंधित शिक्षार्थी एवं केन्द्र को दे दी जाएगी।

पुनर्गणना का कार्य शिक्षार्थी से प्राप्त आवेदन के 45 दिनों के अन्दर पूरा किया जाएगा।

यह उल्लेखनीय है कि पुनर्गणना के अंतर्गत मात्र तीन कार्य ही किए जाते हैं।

- (i) आवरण पृष्ठ पर अंकित प्रश्नवार अंकों का पुनः योग।
 - (ii) अमूल्यांकित उत्तरों की जाँच (नियुक्त परीक्षक के द्वारा)।
 - (iii) उत्तर पुस्तिका में प्रश्नवार लब्धांकों के योग का अंक फलक पर प्रधान परीक्षक के द्वारा सही रूप में अंकित रहने की जाँच।
- शिक्षार्थियों को इसके लिए प्रति विषय 200/-रुपये का शुल्क आवेदन पत्रों के साथ देना होगा शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के रूप में CEO. BBOSE के नाम से PATNA में देय होना चाहिए।

* अन्यान्य शुल्क (Other Fees) :

प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति – शुल्क रू0 100/-

प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु शिक्षार्थी को साक्ष्य के रूप में प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी के द्वारा निर्गत शपथ-पत्र की मूलप्रति बोर्ड कार्यालय को जमा करना होगा। प्रमाण पत्र के गुम हो जाने स्थिति में संबंधित थाना में किए गए F.I.R. (First Information Report) की मूलप्रति बोर्ड कार्यालय में जमा कराना होगा।

शिक्षार्थी द्वारा सादे कागज पर आवेदन अपने संबंधित अध्ययन केन्द्र से अग्रसारित कराकर समस्त कागजातों के साथ बोर्ड कार्यालय को प्राप्त कराना होगा।

अंक तालिका की द्वितीय प्रति – शुल्क रू0 100/-

शिक्षार्थी प्रवेश पत्र एवं परिचय पत्र की अभिप्रमाणित के साथ अपने आवेदन को संबंधित अध्ययन केन्द्र के समन्वयक से अग्रसारित कराकर समस्त कागजातों के साथ बोर्ड कार्यालय को प्राप्त कराना होगा।

नोट :- नकद भुगतान के लिए BBOSE के द्वारा राशि की प्राप्ति रसीद दी जाएगी।

* **सुझाव आमंत्रण :-** BBOSE, शिक्षकों, जिला स्तर के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों, छात्रों एवं उनके अभिभावकों द्वारा दिये गये सुझाव को भी आमंत्रित करता है। बोर्ड अपने नीतियों एवं नियमों के अनुसार प्राप्त सुझावों की समीक्षा करते हुए उसे अमल करने का सार्थक प्रयास करेगा।